आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 3(3)नविवि/ाा/2017 **जयपुर, दिनांकः** 20/04/2022

आदेश

श्री मूलेन्द्र सिंह, सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग जिनकी जन्मतिथि 25.06.1962 है। श्री मूलेन्द्र सिंह द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 30.06.2022 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश एतदद्वारा प्रसारित किये जाते हैं।

मुख्य नगर नियोजक एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री मूलेन्द्र सिंह, सहायक नगर नियोजक के विरूद्ध आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

भवदीय,

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री मूलेन्द्र सिंह, सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग,जयपुर,राज.।
6. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
7. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

20/4/2022
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

P-789 Dec/Jitu Letter/UDH